

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 29 / 2023

दायर दिनांक : 14 / 06 / 2023

निर्णय दिनांक : 14 / 02 / 2024

उनवान

1. नाथूलाल पिता बालू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर

बनाम

प्रार्थीगण

1. नारायण पिता अमरचन्द्र जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
2. किशनलाल पिता मेघराज जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
3. मोतीलाल पिता मेघराम जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
4. रतनलाल पिता मेघराज जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
5. शंकरलाल पिता लालू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
6. किशोरी पत्नी लालू जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
7. भैरूलाल पिता भूरालाल जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर


अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण वाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि गौजा खाता सं. 48 में आ.सं. 233 रकबा 0.30 है., आ.सं. 236 रकबा 0.12 है., आ.सं. 90 रकबा 0.32 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर वारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवादाधीन नहीं हो। इस आशय वावत तहसीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर